भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2064**
11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

**विषयः-हिंगोली में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विशेष योजना**

**2064. श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिलः**

**क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार ने हिंगोली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने तथा कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं क्रियान्वित की हैं;
(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या तथा वितरित की गई राशि का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का क्षेत्र में सूखे, बेमौसम बारिश तथा जल संकट से प्रभावित किसानों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता अथवा विशेष राहत पैकेज प्रदान करने का विचार है;
(घ) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और
(ङ) क्या सरकार का हिंगोली जिले में कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित करने, मंडियों के आधुनिकीकरण तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए कोई नई पहल शुरू करने का विचार है?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर)**

**(क) से (ङ):** कृषि राज्य विषय है। हालाँकि, भारत सरकार महाराष्ट्र सहित देश भर में किसानों के कल्याण के लिए केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं के साथ-साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला को लागू कर रही है। इन योजनाओं में ऋण, बीमा, आय सहायता, इनफ्रास्ट्रक्चर, बागवानी सहित फसलें, बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, फार्मर्स कलेक्टिव, सिंचाई, विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से फसलों की खरीद, डिजिटल कृषि आदि सहित कृषि का पूरा दायरा शामिल है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की सूची इस प्रकार है:

## I. केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
5. संशोधित ब्याज छूट योजना (एमआईएसएस)
6. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)
7. एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
8. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
9. स्टार्ट अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि निधि (एग्रीश्योर)
10. नमो ड्रोन दीदी

## II. केंद्र प्रायोजित योजनाएं

### (क) राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन

### (ख) कृषोन्नति योजना

1. एकीकृत कृषि विपणन योजना-राष्ट्रीय कृषि बाजार (आईएसएएम-ईनाम)
2. एकीकृत कृषि विपणन योजना-अन्य (आईएसएएम-अन्य)
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
4. राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन (एनएमईओ-ओएस)
5. राष्ट्रीय खाद्य तेल-ऑयल पाम मिशन पर (एनएमईओ-ओपी)
6. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर)
8. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
9. डिजिटल कृषि

### (ग) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- डीपीआर (आरकेवीवाई-डीपीआर)
2. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
3. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
4. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता
5. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
6. कृषि वानिकी
7. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) (फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) अब एसएमएएम के साथ विलय हो गया है)
8. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)

पिछले तीन वर्षों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या और संवितरित राशि का विवरण निम्नानुसार है:

**प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान)**

हिंगोली जिले में, पीएम-किसान योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 2.21 लाख से अधिक लाभार्थियों को 694.76 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं।

**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)**

पिछले तीन वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लाभार्थियों और संवितरित राशि का विवरण निम्नानुसार है (फरवरी 2025 तक):

| वर्ष | नामांकित किसान आवेदन | भुगतान किए गए दावे (रुपये करोड़ में) |
|---|---|---|
| 2021-22 | 3,99,359 | 110.82 |
| 2022-23 | 4,06,492 | 115.23 |
| 2023-24 | 7,17,009 | 104.38 |
| **कुल** | **15,22,860** | **330.44** |

**एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ़)**

महाराष्ट्र राज्य के लिए, 28 फरवरी 2025 तक, एआईएफ के तहत 10418 परियोजनाओं के लिए 6790 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत 11569 करोड़ रुपये है।

हिंगोली लोकसभा क्षेत्र में 9.00 करोड़ रुपये के ऋण के साथ ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा कुल 13 एआईएफ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास है। राज्य सरकारें पहले से ही उनके पास मौजूद राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से सूखे सहित अधिसूचित आपदाओं से प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। हालांकि, गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में है, न कि मुआवजे के लिए।

*****